न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 16/2025 (Bank Case)

GCMS No.-2025/181

इंडिया शेल्टर फाईनेंस कारपोरेशन लिमिटेड एक वित्तीय संस्था है जिसका पंजीकृत कार्यालय :– 6th फलोर, प्लॉट नं. 15, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सेक्टर–44, गुरूग्राम हरियाणा– 122002 में स्थित व कार्यरत है — प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती लीला बाई (ऋणी)
   पताः मकान नं0 480, शंकर किराना स्टोर के पास, बापू नगर, कुन्हाडी, कोटा
   अन्य पताः– सर्वे नं0 RAY-073/2165, बापू नगर, कोटा (राज0) 324008
2. श्री भैरू लाल (सहऋणी / बंधककर्ता)
   पताः मकान नं0 480, शंकर किराना स्टोर के पास, बापू नगर, कुन्हाडी, कोटा
   अन्य पताः– सर्वे नं0 RAY-073/2165, बापू नगर, कोटा (राज0) 324008
3. श्री दशरथ
   पताः मकान नं0 480, शंकर किराना स्टोर के पास, बापू नगर, कुन्हाडी, कोटा
   अन्य पताः– सर्वे नं0 RAY-073/2165, बापू नगर, कोटा (राज0) 324008
4. श्री शांतिलाल
   पताः मकान नं0 480, शंकर किराना स्टोर के पास, बापू नगर, कुन्हाडी, कोटा
   अन्य पताः– सर्वे नं0 RAY-073/2165, बापू नगर, कोटा (राज0) 324008

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः– 07 .01.2026

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि इंडिया शेल्टर फाईनेंस कारपोरेशन लिमिटेड एक वित्तीय संस्था है जिसका पंजीकृत कार्यालय :– 6th फलोर, प्लॉट नं. 15, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सेक्टर–44, गुरूग्राम हरियाणा– 122002 में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 18.08.2017 को रूपये 7,08,732/– (अक्षरेः सात लाख आठ हजार, सात सौ बत्तीस रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्री भैरूलाल की अचल सम्पत्ति भूमि सर्वे नं0 RAY-073/2165, बापू नगर, कोटा (राज0) 324008 पर स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 109.88 स्क्वायर यार्डस है जिसकी चतुर्थ सीमाएः पूर्व मेंः रोड, पश्चिम मेंः टीला, उत्तर मेंः कुन्दन का मकान, दक्षिण मेंः कालू तिवारी का मकान** है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 27.12.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी के कुल बकाया रूपये 5,31,854. 61/–रूपये (अक्षरेः– पाच लाख इकत्तीस हजार आठ सौ चौपन रूपये व इकसठ पैसे मात्र) दिनांक 30.06.2021 तक व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 12.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते

मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तिय सस्थां को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 12.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तिय सस्थां द्वारा उक्त अधिनियम की धारा धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 12.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, इसके बावजूद के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की **श्री भैरूलाल की** अचल सम्पत्ति भूमि सर्वे नं0 **RAY-073/2165, बापू नगर, कोटा (राज0) 324008 पर स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 109.88 स्क्वायर यार्डस है जिसकी चतुर्थ सीमाएः पूर्व मेंः रोड, पश्चिम मेंः टीला, उत्तर मेंः कुन्दन का मकान, दक्षिण मेंः कालू तिवारी का मकान है**, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें।

आदेश आज दिनांक 07 .01.2026 को सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा,

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)